

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा  
 अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  
सभी जिलाधिकारी

पटना, दिनांक— 04/02/2021

विषयः—

बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारियों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली कार्यान्वित है। इससे संबंधित नियमावली के उपबंध के आलोक में सभी जिलों एवं सभी विभागों में एक—एक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी पदनामित हैं। विदित होगा कि जिला समाहरणालयों में स्थापना प्रशास्त्र के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (अपर समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी) तथा विभागों में उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2— कई स्थानों पर पूर्व से पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारियों के स्थानांतरित/सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनसे संबंधित अद्यतन सूचना की आवश्यकता है ताकि इसे पोर्टल (<http://sevasamadhan.bihar.gov.in>) पर update किया जा सके। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग/जिला में पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी निवारण की अद्यतन सूचना नीचे दिए गए प्रपत्र में यथाशीघ्र मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

#### प्रपत्र

विभाग/जिला का नाम	पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी का मोबाइल नम्बर/दूरभाष संख्या	सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी का ई—मेल पता

विश्वासभाजन  
 (डॉ. प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

०५  
 ००.